

लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश
गौतम नगर, भोपाल-462023
ई-मेल: dpividhya@gmail.com

क्र/मान्यता/अ/2026/1289
प्रति,

भोपाल दिनांक 10/9/26

1. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक,
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश।
2. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी,
मध्यप्रदेश।
3. समस्त अशासकीय संस्था अध्यक्ष/सचिव
प्राचार्य, हाई स्कूल/हायर सेकेंडरी, मध्यप्रदेश।

विषय:- मध्यप्रदेश, माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शालाओं की मान्यता नियम 2017 (संशोधन नियम 2020 एवं 2021) का संशोधित नियम 2026 के अन्तर्गत वर्ष 2027-2028 की नवीन मान्यता, मान्यता नवीनीकरण, विषय वृद्धि, माध्यम वृद्धि, पता परिवर्तन हेतु समय सारणी।

विषयांतर्गत मध्यप्रदेश, माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शालाओं की मान्यता नियम 2017 (संशोधन नियम 2020 एवं 2021) का संशोधित नियम 2026 के अन्तर्गत वर्ष 2027-2028 की नवीन मान्यता, मान्यता नवीनीकरण, विषय वृद्धि, माध्यम वृद्धि, पता परिवर्तन हेतु यू.आर.एल. <https://manyta.dpimp.in> के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन किये जाने हेतु निम्नानुसार समय सारणी एवं निर्देश जारी किए जाते हैं:-

1. सर्वप्रथम संबंधित संभागीय संयुक्त संचालक द्वारा यथा आवेदक अशासकीय संस्थाओं की संख्या के आधार पर (आवश्यकतानुसार) अशासकीय संस्थाओं के निरीक्षण हेतु निरीक्षण दलों का गठन तत्काल किया जाए।
2. संभागीय संयुक्त संचालक यह सुनिश्चित करेंगे कि संस्थाओं द्वारा ऑनलाईन आवेदन करने के उपरांत गठित निरीक्षण दल द्वारा संबंधित संस्था का 07 दिवस की समय सीमा में निरीक्षण कर प्रतिवेदन पोर्टल पर अपलोड किया जाये।
3. निरीक्षण दल द्वारा पोर्टल पर प्रतिवेदन अपलोड करने के 07 दिवस के अंदर संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी उक्त रिपोर्ट के अनुक्रम में अपने स्पष्ट अभिमत सहित आवेदन ऑनलाईन रूप से संबंधित संभागीय संयुक्त संचालक को अग्रेषित करेंगे।
4. जिला शिक्षा अधिकारी से प्रकरण प्राप्त होने पर संभागीय संयुक्त संचालक द्वारा यथा संभव 07 दिवस किन्तु अधिकतम 15 दिवस की अवधि में संबंधित संस्था की मान्यता के संबंध में आवश्यक निर्णय लिया जायेगा।
5. संभागीय संयुक्त संचालक द्वारा संबंधित संस्था यदि मापदंड पूर्ण नहीं करती है तो उन्हें नियत मापदंड की पूर्ति अथवा वांछित अभिलेख प्रस्तुत करने हेतु 15 दिवस का समय दिया जाये तथा संबंधित संस्था द्वारा इस संबंध में प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर नियमानुसार मान्यता के संबंध में आवश्यक निर्णय लिया जायेगा। यदि संस्था द्वारा उक्त समयावधि में मापदंड पूर्ति का प्रतिवेदन/विहित अभिलेख प्रस्तुत न करने की स्थिति में भी नियमानुसार प्रकरण का निराकरण समयसीमा में किया जाये।
6. संभागीय संयुक्त संचालक द्वारा लिए गए निर्णय के विरुद्ध अशासकीय संस्थाओं द्वारा नियत कैलेंडर में उल्लेखित समय-सीमा में प्रथम एवं आवश्यकतानुसार द्वितीय अपील कमरा: आयुक्त लोक शिक्षण एवं मान्यता समिति को ऑनलाईन प्रस्तुत की जा सकेगी। उक्त प्रस्तुत की जाने वाली अपील का आधार वे बिन्दु ही होंगे जिनके आधार पर संयुक्त संचालक द्वारा आवेदन अमान्य किया गया है।
7. संभागीय संयुक्त संचालक, अशासकीय संस्थाओं द्वारा प्रथम/द्वितीय ऑनलाईन अपील करने पर आवेदक संस्था द्वारा पूर्व में पाई गई कमियों की पूर्ति के संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे।

-निरंतर 02

मान्यता के प्रकरणों के निराकरण हेतु समय सारणी

क्र.	कार्यवाही का विवरण	अंतिम तिथियां
01	अशासकीय संस्था द्वारा मान्यता पोर्टल पर चाहे जाने वाले दस्तावेजों के साथ स्वघोषणा पत्र के साथ ऑनलाईन आवेदन अपलोड करने की अवधि	दिनांक 15 अक्टूबर 2026 तक
02	निरीक्षण प्रतिवेदन पोर्टल पर अपलोड करने की समय सीमा।	संबंधित संस्था द्वारा ऑनलाईन आवेदन किए जाने के 07 दिवस की समय सीमा में की जाए।
03	गठित दल की अनुशंसा पोर्टल पर अपलोड करने एवं इस पर जिला शिक्षा अधिकारी की स्पष्ट अनुशंसा सहित प्रतिवेदन संभागीय संयुक्त संचालक को ऑनलाईन अग्रेषित करने हेतु कार्यवाही की अवधि।	दिनांक 30 अक्टूबर 2026 तक
04	संबंधित संभागीय संयुक्त संचालक द्वारा प्रकरण में निर्णय लेने एवं जिन प्रकरणों में मापदंड की पूर्ति नहीं होती है उन्हें ई-मेल के माध्यम से कमियों की पूर्ति किए जाने के संबंध में सूचित करने की अवधि।	दिनांक 15 नवम्बर 2026 तक
05	संस्था द्वारा कमी पूर्तियों के साथ पुनः दस्तावेज संभागीय संयुक्त संचालक को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि।	दिनांक 30 नवम्बर 2026 तक
06	संस्था द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर अथवा कमी पूर्ति संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत न करने की स्थिति में प्रकरण के निराकरण की स्थिति	दिनांक 05 दिसम्बर 2026 तक
07	जिन संस्थाओं के आवेदन संभागीय संयुक्त संचालक स्तर पर निरस्त हुए हैं, उनके द्वारा आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश को ऑनलाईन प्रथम अपील करने की अंतिम तिथि	दिनांक 05 जनवरी 2027 तक
08	विलंब शुल्क सहित प्रथम अपील ऑनलाईन किए जाने की अंतिम तिथि	दिनांक 11 जनवरी 2027 तक
10	आयुक्त, लोक शिक्षण द्वारा प्राप्त प्रथम अपील के प्रकरणों के निराकरण की अंतिम तिथि	दिनांक 08 फरवरी 2027 तक
11	जिन संस्थाओं के आवेदन आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश स्तर पर निरस्त हुए हैं उनके द्वारा मान्यता समिति के समक्ष के माध्यम से द्वितीय अपील किये जाने की अंतिम तिथि।	दिनांक 08 मार्च 2027 तक
12	विलंब शुल्क सहित द्वितीय अपील ऑनलाईन किए जाने की अंतिम तिथि	दिनांक 15 मार्च 2027 तक
13	मान्यता समिति द्वारा द्वितीय अपील के प्रकरणों के निराकरण की अंतिम तिथि।	दिनांक 31 मार्च 2027 तक
14	संस्था द्वारा संबद्धता शुल्क जमा किए जाने पर माध्यमिक शिक्षा मण्डल (मान्यता प्राप्त होने के बाद) द्वारा संबद्धता दिया जाना। मण्डल द्वारा निर्धारित तिथि तक	मण्डल द्वारा निर्धारित तिथि तक

आयुक्त द्वारा अनुमोदित

Digitally signed by
Ravindra Kumar Singh
Date: 10-09-2026
11:15:27

(रवीन्द्र कुमार सिंह)

अपर संचालक
लोक शिक्षण म.प्र.

पृ.क्र./मान्यता/अ/2026/1285
प्रतिलिपि

भोपाल दिनांक 10/9/26

1. निज सहायक, माननीय मंत्रीजी, स्कूल शिक्षा विभाग, म.प्र. शासन, भोपाल।
2. सचिव, म.प्र.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
3. समस्त संभागायुक्त, मध्यप्रदेश।
4. सचिव, मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मण्डल, शिवाजी नगर, भोपाल
5. समस्त जिला कलेक्टर्स, मध्यप्रदेश।
6. प्रबंधक संचालक, निक्सी, भोपाल।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अपर संचालक
लोक शिक्षण म.प्र